अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 09/2018(RCMS No. 2018/00105)
अनवान् नंदराम पुत्र गुगनराम जाति कुम्हार आयु करीब 81 वर्ष निवासी चक 2 एफ फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **बनाम**
1. ओम प्रकाश पुत्र नंदराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 एफ फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी पुरानी सब्जी मण्डी, वार्ड नं. 13, पुरानी आबादी, राजकीय विद्यालय के सामने, कृषि पर्यवेक्षक केयर ऑफ सहायक निदेशक कृषि, श्री करणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.07.2019

अपीलार्थी नंदराम व रेस्पोडेंट ओम प्रकाश दोनों आज उपस्थित नहीं हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है :–

यह है कि अपीलार्थी नन्दराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर के समक्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4, 5, 21, 23 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2017 को इस आश्य का पेश किया था कि अपीलार्थी/प्रार्थी की आयु 80 वर्ष है और व वरिष्ठ नागरिक है तथा चक 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के नाम से चक 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 27, मुरब्बा नम्बर 44 की 4.047 है. व चक 4 एम के खाता संख्या 4, मुरब्बा नं. 2 की 3.149 है. दर्ज थी। प्रार्थी के पुत्र धर्मपाल व ओम प्रकाश द्वारा उसे जीवन काल तक सेवा करने का विश्वास दिलाकर दिनाक 09.10.2003 को तहसीलदार के माध्यम से उक्त कृषि भूमि बंटवारा करवाकर इंतकाल संख्या 191 व 151 से अपने नाम दर्ज करवा ली। प्रार्थी का पुत्र धर्मपाल तो प्रार्थी की सेवा कर रहा है मगर अप्रार्थी ने ता जिंदगी सेवा करने का विश्वास दिलाकर उक्त भूमि बंटवारे अनुसार अपने नाम दर्ज करवा ली और पिछले कुछ सालों से सेवा करना बंद कर दिया है और प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी ओमप्रकाश साधन सम्पन्न है तथा 60,000/— प्रतिमाह तनख्वाह कृषि पर्यवेक्षक के रूप में प्राप्त कर रहा है, इसलिए उसे 10,000/— प्रतिमाह भरण पोषण दिलवाया जावे और प्रार्थना पत्र में अंकित बंटवारानामा के द्वारा कुल 1.575 है. नहरी भूमि दी गई है में उक्त बंटवारानामा को शून्य घोषित किया जावे और कब्जा वापिस प्रार्थी को दिलवाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 23.03.2018 के द्वारा 4500/— की अप्रार्थी ओम प्रकाश से प्रतिमाह प्रार्थी नंदराम को भरण पोषण दिलाये जाने का आदेश पारित किया और धारा 21 व 23 की हद तक प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया।

उक्त आदेश दिनांक 23.03.2018 की अप्रसन्नता से यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.05.2018 को प्रार्थी नंदराम द्वारा पेश करके पूर्व में धारा 21 व 23 की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज करने व 4500/— भरण पोषण दिये जाने की हद तक पारित किये गये आदेश को निरस्त करके 10,000/— प्रतिमाह भरण पोषण दिलाया जाने और जमीन वापिस प्राप्त करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी रेस्पोडेंट को अपील पर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी ओमप्रकाश ने दिनांक 20.08.2018 को लिखित बहस पेश की और साथ ही 03.08.2018 से 20.08.2018 तक जमा करवाये गये भरण पोषण 4500/— की रसीदे पेश की और दिनांक 31.08.2018 को लिखित जवाब एवं संलग्न दस्तावेज पेश किये।

अप्रार्थी/रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित बहस में यह कथन है कि अप्रार्थी के अलावा अप्रार्थी/रेस्पोडेंट का एक भाई धर्मपाल व 2 बहनें हैं। धर्मपाल को भी आधी जमीन बंटवारे में दी गई है और वह

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

35000/– प्रतिमाह पेंशन ले रहा है और उनसे कोई भरण पोषण की मांग अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है बल्कि अकेले अप्रार्थी ओमप्रकाश से ही भरण पोषण की मांग की गई है और उपखण्ड अधिकारी द्वारा 4500/– भरण पोषण दिलाये जाने का जो आदेश दिया गया है वह भी विधिसम्मत् नहीं है फिर भी अप्रार्थी/रेस्पोडेंट भरण पोषण राशि अदा कर रहा है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

उसका आगे जवाब में यह भी कथन है कि जो कृषि भूमि दी गई वह उसके दादा गूगनराम की पैतृक सम्पत्ति थी, जिसका वह भी हकदार है, इसलिए अपीलार्थी उसे वापिस प्राप्त करने का हकदार नहीं है और उक्त कृषि भूमि का जो बंटवारा के आधार पर इंतकाल संख्या 191 व 151 से वर्ष 2003 में उसे प्राप्त हुई है वह उक्त भरण पोषण अधिनियम 2007 से पूर्व की होने के कारण उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शून्य घोषित नहीं की जा सकती। इसलिए अपीलार्थी/प्रार्थी की अपील खारिज की जावे।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र एवं अप्रार्थी के द्वारा लिखित बहस एवं जवाब के संलग्न अन्य दस्तावेजात शपथ पत्र सावित्री व कमला जो अप्रार्थी की सगी बहने व अपीलार्थी नन्दराम की पुत्रियां है, का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने पुत्र ओमप्रकश से 10,000/– प्रतिमाह भरण पोषण दिलाने की मांग की है और वर्ष 2003 में तहसीलदार, करणपुर के बंटवारा आदेश के आधार पर अप्रार्थी को बंटवारे में इंतकाल संख्या 191 व 151 में दी गई कृषि भूमि को निरस्त करके वापिस अपीलार्थी को दिलाई जाने की प्रार्थना की है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.03.2018 से निम्न आदेश पारित किया है :

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 21 एवं धारा 23 के संबंध में स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है एवं इस संबंध में अंतिम आदेश जारी किया जाता है कि अप्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला हाल पुरानी आबादी सब्जी मण्डी, वार्ड नं 13, श्रीगंगानगर अपने पिता नन्दराम पुत्र गुगनराम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला को 4500/— रूपये प्रति माह गुजारा भत्ता के रूप में देगा। प्रार्थी नन्दराम को आदेशित किया जाता है कि वह किसी बैंक में अपना खाता खुलवाकर खाता नं0 से न्यायालय या अप्रार्थी को सूचित करें। इस आश्य का आदेश जारी हो आदेश की एक—एक प्रति प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम से जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र सावित्री देवी पुत्री नन्दराम, शपथ पत्र कमला देवी पुत्री नन्दराम दिनांक 04.08.2017 जो कि अपीलार्थी/प्रार्थी की सगी पुत्रिया है के अनुसार भी अपीलार्थी नन्दराम के रेस्पोडेंट पुत्र ओमप्रकाश के अलावा एक पुत्र धर्मपाल व दो पुत्रियां सावित्री देवी व कमला देवी है।

अधिनियम 2007 की धारा 9 के अनुसार (1) व (2) के अनुसार 10,000/— भरण पोषण संतानों से दिलाए जाने हेतु अधिकरण आदेश दे सकता है। क्योंकि रेस्पोडेंट अकेले ओमप्रकाश के विरूद्ध ही 4500/— प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश दिया गया है जबकि अन्य संतानों से किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की गई है तो ऐसी दशा में 10,000/— भरण पोषण चारों के समान अनुपात में ही अपीलार्थी मांग कर सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अकेले पुत्र ओम प्रकाश के विरूद्ध ही 4500/— प्रतिमाह अपने पिता नन्दराम को भरण पोषण दिये जाने का आदेश पारित किया गया है और रेस्पोडेंट ओम प्रकाश उसका भुगतान भी करता आ रहा है और उक्त आदेश के विरूद्ध ओम प्रकाश द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में कोई अपील /रिट याचिका प्रस्तुत करके कोई चुनौति नहीं दी गई है। इसलिए इसके अभाव में उक्त 4500/— रूपये तक की भरण पोषण राशि दिये जाने का जो आदेश दिया गया है, उसमें किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप का कोई आदेश दिया जाना उचित नहीं है। **अतः अपीलार्थी की 4500/— से भरण पोषण राशि बढ़ाकार 10,000/— भरण पोषण के रूप में रेस्पोडेंट ओम प्रकाश से दिलाये जाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।**

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

जहां तक अपीलार्थी की यह प्रार्थना की बंटवारानामा 2003 के आधार पर इंतकाल संख्या 191 व 151 द्वारा प्रार्थी ओम प्रकाश को दी गई कृषि भूमि के इंतकाल को निरस्त करके वापिस अपीलार्थी नन्दराम को दिलाई जाने का प्रश्न है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत ऐसी अचल सम्पत्ति जो उक्त अधिनियम लागू होने के पश्चात भरण पोषण की शर्त के अधीन दी गई हो तो उन पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शून्य घोषित करने अथवा न करने पर विचार किया जा सकता है किन्तु उक्त बंटवारानामा उक्त माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के लागू होने से पूर्व का होने के कारण उक्त अधिनियम में विचार करने योग्य नही है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारीज की जाती है और अधिकरण का आदेश दिनांक 23.03.2018 बहाल रखा जाता है और रेस्पोडेंट नियमित रूप से अपीलार्थी को भरण पोषण राशि का भुगतान करता रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रति मय मूल पत्रावली पालनार्थ लौटाई जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर